उत्तराम बनाम चन्द्रपाल वगैरह
2020/000033
15/04/2020

12/10/20

पत्रावली पेश हुई। विपक्षी अभ्यर्थी ने अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जीवनिक अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र मुतकिल खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि जीवनिक अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र मुतकिल का आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मुतकिल खारिज किया जाता है। पत्रावली अपील सुनवाई हेतु दफ्तर दाखिल हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर